न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
14/22	01–10–2019	10–11–2020

1. असरी
2. बस्सी पुत्रीयान स्व0 दीना जाति मेव निवासी ग्राम दिमलियावास हाल वासी धीरियावास तहसील तिजारा जिला अलवर।

अपीलान्ट

बनाम

1. दीनू पुत्र श्री हुसैना जाति मेव निवासी रभाना तहसील तिजारा जिला अलवर(मृतक)
   1/1. अब्दुल रसीद पुत्र स्व0 दीनू
   1/2. रफीक पुत्र स्व0 दीनू
   1/3. रहमती पत्नी स्व0 दीनू
   1/4. रसीदन पुत्री स्व0 दीनू
   1/5. हकीमन पुत्री स्व0 दीनू जाति मेव निवासीयान ग्राम रभाना तहसील तिजारा जिला अलवर।

   असल रेस्पाडन्ट
2. हुसैन मोहम्मद पुत्र दीना जाति मेव निवासी ग्राम अलापुर तहसील तिजारा अलवर
3. रमजान
4. समयदीन
5. जाकिर
6. इरफान
7. शौकीन पिसरान स्व0 बसीर जाति मेव निवासी ग्राम टिमलियावास हाल निवासी ग्राम धीरियाबास तहसील तिजारा जिला अलवर।

तर0रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर, तिजारा जिला अलवर दिनांक 08–02–83

उपस्थितः–

01. श्री शकूर खान —वकील अपीलान्ट
02. श्री शैलेन्द्र भार्गव —वकील रेस्पो0

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर तिजारा के आदेश दिनांक 08.02.83 जिसके द्वारा आराजी ख0नं0 487 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा, 489 रकबा 1बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम रभाना तहसील तिजारा का रैस्पा0 संख्या 1 के नाम जारी किये गये आवंटन करने के आदेश दिये गये, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। पत्रावली तहत तलब की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कहा कि तहत न्यायालय के आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 13.12.12 को होने पर दिनांक 14.12.12 को नकल हेतु दरख्वास्त पेश की दिनांक 17.12.12 को नकल प्राप्त होने पर अपील हेतु रूपये का इंतजाम कर व कानूनी सलाह लेकर आज बिला देरी अन्दर

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

अवधि पेश है। जो समय दिनांक 7.2.1983 से दिनांक 13.12.2012 तक व्यतीत हुआ है वह काबिले कन्डोन है जिस हेतु आवेदन पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम पेश है।

आराजी खसरा नम्बर 487 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा, 489 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा जो आराजी अपीलान्ट व तर0 रैस्पा0 संख्या 2 के पिता व तर0 रैस्पा0 संख्या 3 लगायात 7 के दादा दीना पुत्र दराब खां को कीमतन आवंटन की गई। दीना ने दिनांक 22.9.75 को कीमत 660/–रूपये जमा कराये व कब्जा दिया गया, उसके हक में इंतकाल गैरखातेदारी संख्या 166 दिनांक 29.11.78 को स्वीकार किया गया। अपीलीय आदेश तहत अदालत ने न्यायिक विधि एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। तहत अदालत ने रैस्पा0 संख्या 1 के हक में सनद् पट्टा जारी करने से पूर्व कोई जांच पड़ताल नही की ना ही राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया ना अपीलान्ट व उसके पिता दीना को सुनवाई का कोई अवसर दिया और दीना के फर्जी हलफनामा के आधार पर अपीलीय आदेश पारित किया है। तहत अदालत ने कीमत जमा कराकर पट्टा जारी करने की आज्ञा दिनांक 8.2.1983 को दी है और इससे पहले ही रैस्पा0 सं0 1 ने दिनांक 7.2.1983 को ही कीमत जमा करा दी व दिनांक 7.2.1983 को ही पटवारी ने पट्टा संख्या 174 भर दिया, जिससे स्पष्ट है कि सारी कार्यवाही साजिश ढंग से व फर्जकारी तरीके से की गयी है। पट्टे पर जिस अधिकारी के हस्ताक्षर किये है वो उस वक्त नायब तहसीलदार के पद पर कार्यरत थे, कानूनन नायब तहसीलदार कस्टोडियन भूमि के बारे में सनद् पट्टा जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी नहीं है। अपीलान्ट के पिता की ओर से हलफनामा दिनांक 7.2.1983 को पेश हुआ है वह फर्जी वो बनावटी है। दीना के फर्जी निशानी अगूठा किये गये है स्टाम्प वैंडर से जब स्टाम्प खरीदा वहां खरीदार के निशान नही है। रैस्पा0 सं0 1 ने कर्मचारियान से साज बाज होकर फर्जी हलफनामा के आधार पर अपने हक में सनद् पट्टा जारी कराया है। विवादित आराजी दिनांक 5.9.1975 को अपीलान्ट के पिता दीना को आवंटित हुई तभी से इस आराजी पर दीना का कब्जा काश्त रहा है। दीना की मृत्यु के बाद यह आराजी विरासत में हम अपीलान्ट व तर0 रैस्पा0 को प्राप्त हुई है जो तरतीबी रैस्पा0 सुलबी पुत्र व पौत्र है। विवादित आराजी पर हम काबिल रहकर काश्त करते चले आ रहे है आज भी मौके पर हमारा कब्जा है। दीना का जो हलफनामा दिनांक 7.2.1983 को तैयार किया गया है उसे शपथ आयुक्त से तस्दीक कराया है उस वक्त शपथ आयुक्त के समक्ष दीना का निशानी अंगूठा नहीं कराया है। रैस्पा0 संख्या 1 भूमिहीन काश्तकार भी नही है उसके पास ग्राम रभाना में करीबन 10 बीघा भूमि खातेदारी की है। ऐसी सूरत में विवादित आराजी की सनद खातेदारी अपीलान्ट व तर0रैस्पा0 के नाम जारी किये जाने योग्य है। समस्त कार्यवाही एकतरफा में बगैर सुनवाई का समुचित अवसर दिए ही की गई है, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत है। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहत न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावें।

विद्वान वकील रैस्पा0 ने अपनी बहस में जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कहा कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 487 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा व 489

जिला कलेक्टर
अलवर (राज०)

रकबा 1 बीधा 16 बिस्वा ग्राम रभाना जो रैस्पा0 के पिता दीनू पुत्र हुसैना की कब्जे काश्त की आराजी थी जिस पर दीनू का कब्जा बुजुर्गो के जमाने से यानि 50 वर्षो से अधिकर से आज तक चला आ रहा है। दीनू के स्वर्गवास होने के पश्चात् हम रैस्पा0 आराजी पर शांतीपूर्ण तरीके से काबिज रहकर काश्त कर रहें है। अपीलान्ट के पिता मृतक दीना को विधिक प्रावधानों के विपरीत तहत अदालत द्वारा दिनांक 5.9.1975 को गलत अलोटमेंट कर दिया गया जबकि अराजी रैस्पा0 के पिता दीनू काबिज थे। अलोटी दीना द्वारा आराजी की कोई कीमत भी जमा नहीं कराई गई न कोई उनका कब्जा हुआ। अलोटी दीना द्वारा आराजी की बाबत केवल प्रथम किश्त जमा कराई गई वह किश्त भी दीनू के मार्फत जमा कराई गई जो रिपोर्ट पटवारी से जाहिर है इसके अलावा अन्य कोई किश्त दीना द्वारा जमा नही कराई गई इस प्रकार उसका आवंटन कानूनन निरस्त हो गया। तहत अदालत द्वारा पुनः निर्णय दिनांक 7.2.1983 पारित कर सनद पट्टा रैस्पा0 के पिता दीनू के नाम जारी करने का आदेश पारित किया गया। आदेश जारी करने से पूर्व अपीलान्ट के पिता दीना द्वारा एक हलफनामा बहक रैस्पा0 दीनू प्रस्तुत किया गया जिसके आवंटन का अधिकारी दीनू को ही माना गया जिसके आधार पर तहत अदालत द्वारा निर्णय पारित किया गया। निर्णय दिनांक 7.2.1983 तहत अदालत के विरूद्व दीना के पुत्र बशीर द्वारा अपील जिला कलक्टर अलवर में प्रस्तुत की गई जिसमें दीना के दूसरे पुत्र हुसैन मोहम्मद को भी पक्षकार बनाया गया और अपील में राजीनामा हो जाने पर मुताबिक राजीनामा दीनू को आवंटन का पात्र माना गया न्यायालय श्रीमान द्वारा दिनांक 7.4.1999 के अनुसार अपील को खारिज किया गया। दीना पुत्र बशीर द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर तिजारा के यहां दिनांक 18.12.1996 को प्रस्तुत कर विवादित आराजी का स्वंय को खातेदार घोषित किये जाने की प्रार्थना की गई वाद जरिये राजीनामा दिनांक 9.6.1997 खारिज किया गया तथा बशीर पुत्र दीना द्वारा आराजी से स्वयं का कोई संबंध व सरोकार होना नही माना व स्वयं के पिता दीना प्रस्तुत शपथ पत्र को ही सही माना है। अपील दीना पुत्रियों द्वारा वर्ष 2012 में दायर की गई जो मियाद बाहर है जो करीब 30 साल बाद अपील दायर की गई हो खारिज किये जाने योग्य है। अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर तहत न्यायालय का आदेश यथावत रखा जावें।

जिला कलेक्टर
अलवर (राज०)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, बहस पर मनन किया एवं कानून की मंशा देखी गई। दौराने विचाराधीन अपील में रैस्पा0 के द्वारा दिनांक 7.11.17 में अपने पक्ष के समर्थन में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 41 नियम 27 दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 को पेश किया गया। अपीलान्ट प्रार्थना पत्र की नकल अपीलान्ट वकील को उपलब्ध कराई गई, प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार कम मैनेजिंग आफिसर तिजारा के आदेश दिनांक 8.2.1983 जिसके सनद् संख्या 174 जारी की गई के विरूद्व दिनांक 15.1.13 को पेश की एवं विलम्ब को कण्डोन करने के लिए प्रार्थना पत्र दफा–5 पेश कर जानकारी की दिनांक 13.12.12 बताई गई है। विलम्ब को कण्डोन करने

का अपीलान्ट ने कोई वैधानिक तथ्य अंकित नहीं किया है। रेस्पौ0 की हम इस दलील से राइमत है कि विलम्ब का कारण दिन प्रतिदिन के हिसाब से बताना चाहिए, परन्तु अपीलान्ट ने विलम्ब का ऐसा कोई कारण नहीं दर्शाया जिस पर विश्वास किया जा सके। बिना वैधानिक कारण के अपील को पेश करने में हुए विलम्ब को कण्डोन नहीं किया जा सकता। अपीलान्ट ने अपील मियाद बाहर पेश की है। यदि हम मूल अपील का भी अवलोकन करें तो भी पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह जाहिर है कि अपीलान्ट ग्राम दिगलियाबास हाल वासी वालियावास में रहते हों। अपीलान्ट ने अपील व प्रार्थना पत्र दफा–5 में कब्जा काश्त करते रहने की बात अंकित की है परन्तु इस संबंध में तथा वें ग्राम वालियावास में रहते हैं, के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी पेश नहीं किएं हैं। रैस्पा0 का कथन है कि अलोटी दीना द्वारा आराजी की कोई कीमत भी जमा नही कराई गई न कोई कब्जा हुआ। रैस्पा0 से शुल्क जमा कराकर तहत अदालत ने सनद जारी की है जिसमें कोई कानूनी त्रुटि नहीं पाई जाती। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर तिजारा का निर्णय दिनांक 8–2–83 यथावत रखा जाता है। निर्णय प्रति के साथ पत्रावली तहत वापस भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10–11–2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आनन्दी)
जिला कलक्टर, अलवर